संख्या-62/2017/2041/22-2-2016-17(42)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरलाल पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी जनपद-रामपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38319/पर-2(एम0 13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरलाल पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम-जहांगीरापुर, थाना-स्वार, जनपद-रामपुर का निवासी है। घटना से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व बन्दी द्वारा चोरी की गयी भैंस रज्जू नामक व्यक्ति को बेचे जाने की शिकायत करने पर पंचायत द्वारा चार सौ रूपये रज्जू को वापस दिये जाने के फैसले से नाराज होकर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.06.1976 को अपरान्ह् लगभग 05:30 बजे पिस्तौल से गोली मारकर रज्जू के बहनोई की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/76 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा दिनांक 17.02-1977 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2016 तक 28 वर्ष 09 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 38 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। पुलिस अधीक्षक, रामपुर ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी के अपराध से समाज व्यापक रूप से प्रभावित हुआ, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, भविष्य में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में सक्षम होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखना उचित प्रतीत होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनदहाडे दिनांक 04.06.1976 को 01 व्यक्ति की पिस्तौल से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रामपुर द्वारा किये गये विरोध एवं सम्बन्धित मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरलाल पुत्र श्री सोहन लाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-22244(एम0बी0)/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लख्नऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरलाल पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी जनपद-रामपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-62/2017/2041/(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।